अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

221/2021/225 बुद्धा बनाम सरकार

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मदन सिंह रावत श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
20/10/21	यह अपील विद्वान अभिभाषक श्री मदनसिंह रावत ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2021 बउनवान बुद्धा जरिये वारिसान बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2021 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश की है । अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई । अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन प्रार्थना पत्र संलग्न है । पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2021 को पेश हो । राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
21/10/21	पत्रावली वास्तु सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र पेश हुई । स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया था कि अपीलांटस की पुश्तैनी, पैतृक खातेदारी की आराजियात चौसाला खसरा नंबर 2925 रकबा 9–2–00 बीघा वर्किंग खसरा नंबर 3682 रकबा 76–13–00 जिसके आधार खसरा नंबर 5286/6012 रकबा 9.30 है0, 5293 रकबा 1.30 है0, 5289 रकबा 0.01 है0, वर्किंग खसरा नंबर 648 रकबा 6 बिस्वा जिसके आधार खसरा नंबर 5286/5728 रकबा 0.19 है0, वर्किंग खसरा नंबर 649 रकबा 3 बिस्वा जिसके आधारभूत खसरा नंबर 4703 रकबा 0.03 है0 एवं आधारभूत खसरा नंबर 4704 रकबा 0.1666 है0 भूमियां ग्राम बडल्या, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । वादग्रस्त आराजियात के खसरा नंबर 2925 रकबा 9–2–00 बीघा पर अपीलांटस के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त अपीलांटस का चला आ रहा है तथा अपीलांटस के पूर्वजों की खातेदारी काश्तकारी में रही है । राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व अपीलांटस के पूर्वजों के नाम 1349 सन्फसली में खसरा संख्या 2925 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज चली आ रही है तत्पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार प्रथम जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2925 मिन अपीलांटस के पूर्वजों के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश, रहन, बय, मुंतकिल किये अपीलांटस की खातेदारी आराजी को रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी । उक्त गलत अंकन के आधार पर रेस्पो0 अपीलांटस को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में रेस्पो0 को वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	लगा लाट

221/2021/225 बुद्धा बनाम सरकार

लगातार.-

आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण की बहस सुनकर रेस्पो0 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद न कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/रेस्पो0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अधी0न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने दिनांक 11.10.2021 को प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है जिस पर अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की बहस सुनकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित किये है जो एक विधिक प्रक्रिया है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण मे कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को 30 दिवस में निर्णित करे ।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील उक्तानुसार निर्णित की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को 30 दिवस में निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर